रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 147] नई दिल्ली, शनिवार, अगस्त 21, 1971/श्रावण 30, 1893
No. 147] NEW DELHI, SATURDAY, AUGUST 21, 1971/SRAVANA 30, 1893

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

## MINISTRY OF AGRICULTURE

**(Department of Agriculture)**

NOTIFICATION

*New Delhi, the 20th August, 1971*

**G.S.R. 1215.**—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), the Central Government hereby makes the following Order further to amend the Fertiliser (Control) Order, 1957, namely:—

1. This Order may be called the Fertiliser (Control) Second Amendment Order, 1971.

2. In Form B appended to the Fertiliser (Control) Order 1957, under the heading "Terms and Conditions of Certificate of registration" for item 6, the following item shall be substituted, namely.—

"6. The dealer transacting wholesale or retail business of fertilisers shall keep in stock for sale fertilisers having nitrogen, phosphate and Potash nutrients separately or jointly. Provided that the nutrient stock of phosphate and Potash shall not be less than 20 per cent and 10 per cent respectively of the total quantity of the nitrogen in stock."

[No. 10-5/70-M.]

S. M. H. BURNEY, Jt. Secy.

कृषि मंत्रालय

(कृषि विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 अगस्त, 1971

**सा० का० नि० 1215.**—आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार, उर्वरक (नियंत्रण) आदेश, 1957 में और आगे संशोधन करने के लिए, एतद्द्वारा निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात्:—

1. इस आदेश का नाम उर्वरक (नियंत्रण) द्वितीय संशोधन आदेश, 1971 होगा।

2. उर्वरक (नियंत्रण) आदेश, 1957 में संलग्न प्ररूप ख में, रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र के निबन्धन और शर्तें शीर्षक के अन्तर्गत मद 6 के स्थान पर निम्नलिखित मद प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्—

6. उर्वरक का थोक या फुटकर कारबार करने वाला व्यवहारी विक्रयार्थ स्टाक में ऐसे उर्वरक रखेगा जिनमें नाइट्रोजन, फास्फेट और पोटाश पोषक पदार्थ पृथकतः या संयुक्त हों: परन्तु फास्फेट और पोटाश के पोषण पदार्थों का स्टाक, नाइट्रोजन के स्टाक के कुल परिमाण के क्रमशः 20 प्रतिशत और 10 प्रतिशत से कम नहीं होगा।

[सं० 10-5/70-एम०]

एम० एम० एच० वर्मी,
संयुक्त सचिव।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1971